छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 192 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02327**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''पी.एम.ए.वाय फॉर 36 (444) दस'', प्रमोटर–मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, भिलाई, द्वारा– विनीता वर्मा, पता–कार्यालय नगरपालिका निगम, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–'' पी.एम.ए.वाय फॉर 36 (444) दस '' पता–जामुल, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
27/03/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''पी.एम.ए.वाय फॉर 36 (444) दस'' पंजीयन क्रमांक– **PCGRERA080422001385** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 08.04.2022 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 08.02.2023 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ..ग द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 01.12.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 11.03.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जवाब में लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राही मूलक योजना होने के कारण हितग्राहियों से राशि जमा उपरांत आबंटन किये जाने का प्रावधान है। हितग्राहियों द्वारा समय सीमा में राशि जमा नहीं करने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रश्नाधीन परियोजना पंजीयन की वैधता दिनाँक 31.12.2024 तक प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 192 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02327**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''पी.एम.ए.वाय फॉर 36 (444) दस'', प्रमोटर–मुनिसिपल कॉर्पोरेशन, भिलाई, द्वारा– विनीता वर्मा, पता–कार्यालय नगरपालिका निगम, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–'' पी.एम.ए.वाय फॉर 36 (444) दस '' पता–जामुल, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	अवलोकन व अध्ययन किया गया। हितग्राहियों द्वारा समय सीमा में राशि जमा नहीं करने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। अतः अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन परियोजना पंजीयन की वैधता दिनाँक 31.12.2024 तक प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही / – (धनंजय देवांगन) सदस्य सही / – (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	